



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 820]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1119(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (प्रकाशन और मुद्रण काडर) समूह 'ख' और 'ग' भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रकाशन और मुद्रण काडर में कतिपय समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (प्रकाशन और मुद्रण काडर) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड—III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेष—I, में हैं।

7. भारत के अनागरिक की अपात्रता.—कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात बल में नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सतावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या करती है, अंतिम दिन के अपराहन में भारत सरकार द्वारा समय समय पर यथा विहित प्रकार से सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सतावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को यथाविहित आयु की सेवानिवृत्ति की आयु के परे सेवा में विस्तार नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

11. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसे केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो इसे इसी पर विनिश्चय करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (संपादक)	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 7 (44900—142400 रु.)	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।

(6)

20 से 25 वर्ष के बीच

केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से डिग्री सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण में डिप्लोमा और समतुल्य क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों सरकार के मुद्रणालय के ऐसे अधिकारी:-

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृष पद धारण किए हुए हैं;
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) के स्तर-6 में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पण 1.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण्यता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता न कर रहें हों) — सदस्य; (3) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (4) उप सेनानी या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. हैड कास्टेबल (कम्पोजिटर)	02* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- (i) केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारी विभागों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृष पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास किसी मुद्रणालय का तीन वर्ष का अनुभव है; या
- (ii) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कास्टेबल में से जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। उनके पास मुद्रणालय में कम्पोजिंग कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण 1.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण्यता तीन वर्ष (जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) उप सेनानी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हैड कांस्टेबल (फीडर/मधीन प्रचालक)	02* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल में से जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और उनके पास किसी मुद्रणालय में फीडिंग या प्रचालन कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव और जिन्होंने विहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>(i) केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारी विभागों के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास किसी मुद्रणालय में हाथ से फीडिंग या प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव है; या</p> <p>(ii) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल में से जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। उनके पास किसी मुद्रणालय में फीडिंग या प्रचालन कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 1.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) उप सेनानी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कांस्टेबल (जिल्दसाज)	02* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने जिल्दसाजी या चमड़ा जिल्दसाजी कार्य न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ सदृष पद धारण किए हुए हो।</p> <p>टिप्पण 1.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:—</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) उप सेनानी या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p>	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. कांस्टेबल (हैल्पर)	02* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं।

(6)
<p>18 से 25 वर्ष के बीच</p> <p>केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक षिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण.—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विद्यालय से मैट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य सहित किसी मुद्रणालय में हैल्पर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा : केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृष पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित पैक्षिक अर्हताएं हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को उनके पालन के आधार पर पद में तीन वर्ष की सेवा के बाद स्थायी आमेलन के लिए माना जा सकता है।</p>

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—	लागू नहीं।
(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;
(2) कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(3) उप सेनानी या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।

[फा.सं. आई.12012/12/2016—संग.]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव, (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2018

G.S.R. 1119(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force (Publication and Printing Cadre) Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'B' and 'C' posts in the Publication and Printing Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

- 1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Publication and Printing Cadre, Group 'B' and 'C' Posts, Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.**—These rules shall apply to posts specified in Column (1) of the Schedule, annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification.**—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, Medical Manual.

7. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service in the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that an officer whose date of birth is on the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement of superannuation.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

11. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Editor)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 7 (Rs. 44900 - 142400)	Not applicable.

Age limit for direct recruits.

(6)

Between 20 to 25 years.

Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Degree from a recognised University or institution with Diploma in Printing from a recognised Institution and two years experience in the relevant field.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Deputation:

Officer of Central or State or Union territory Government Printing Press:-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;
- (ii) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department : and
- (b) possessing qualification prescribed under column (7).

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central or State or Union territory Government

shall be ordinarily three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Inspector General or Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force (If not presiding over Departmental Promotional Committee) - Member; (3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (4) Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Compositor)	02* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 4 (Rs. 25500 - 81100)	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)
Deputation: a) Official of Central or State or Union territory Government departments holding analogous posts on regular basis and having three years experience in a Printing Press; or b) From amongst Constables of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service. They should have at least two years experience in composing work in printing press. Note 1. —The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central or State Government shall be ordinarily three years which may be extendable up to five years. Note 2. —The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Deputy Commandant/ Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Head Constable (Feeder/ Machine Operator)	02* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 4 (Rs. 25500 - 81100)	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)
<p>Promotion:</p> <p>From amongst Constable (Helper) of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service and should have two years experience in Feeding or Operation work in Printing Press and have successfully completed the prescribed pre-promotional course.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>i) Official of Central or State or Union Territory Government departments holding analogous posts on regular basis and having three years experience in hand Feeding or Operation of a printing press; or</p> <p>ii) From amongst Constables of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service. They should have at least two years experience in Feeding or Operation work of a printing press.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty two years as on the closing date on receipt of applications.</p> <p>Note 3.—The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Constable (Binder)	02* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non - Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 3 (Rs. 21700 - 69100)	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)
<p>Deputation: Official holding analogous posts in the Central or State or Union territory Government with minimum three years experience in Book Binding or Leather Binding work.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Constable (Helper)	02* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non - Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 3 (Rs. 21700 - 69100)	Not applicable.

(6)
<p>Between 18 to 25 years. Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to Scheduled caste and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
Matric Pass or equivalent from a recognised Board or School with one year experience as Helper in a Printing Press.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation/ absorption failing which by direct recruitment.

(11)
<p>Deputation/ absorption: Official holding analogous posts in the Central or State or Union Territory Government having qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Person appointed by deputation may be considered for permanent absorption after three years of service in the post on the basis of his performance.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[F.No. I.12012/12/2016-Org]
R.B.S. NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)